A-27

न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ I.A.S.

प्रकरण संख्या –11 / 2002 (आव0व0अधि0)

GCMS NO. 2002/00003

सरकार जर्ये बचनलाल नैनावत, प्रवर्तन अधिकारी, कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा

––प्रार्थी.

बनाम

1. श्री रघुवीर प्रसाद राठौर मालिक फर्म राठौड़ ट्रेडिंग कम्पनी कैथून जिला कोटा
2. श्री इन्दौरा ट्रेडिंग कम्पनी जर्ये वेणुलता राठौर निवासी बस स्टेण्ड कोटा ।
3. श्री मोहम्मद युनूस आत्मज कमाल अहमद निवासी अहीर पाडा कैथून प्रो0 मो0 युनूस एण्ड संस कैथून

––अप्रार्थीगण.

कार्यालय जिला कलेक्टर कोटा (राज०)

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. **श्री बृजराज सिंह, राजकीय अभिभाषक**
2. **श्री हरिसिंह शक्तावत, अप्रार्थी 1 लगायत 3**

निर्णय

दिनांक 22.09.2021

1. संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि श्री बचनलाल नैनावत प्रवर्तन अधिकारी ने एक प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत इस आशय का दिनांक 8.5.2000 को पेश किया है कि दिनांक 20.4.2000 को मैसर्स राठौड़ ट्रेडिंग कम्पनी एवं उसके गोदामों का इन्दौरा सदन के कमरों में जांच की गई । इन्दौरा सदन के उक्त गोदामों में कमरा मार्कड 'ए' में 81 बोरी एवं गोदाम मार्कड 'बी' में 153 बोरी सल्फर चीनी (खंडसारी) मय बारदाना 28 भेली गुड वजनी 24 क्विंटल 80 किलो तथा 9 क्विंटल 20 किलो चीनी राठोड ट्रेडिंग कम्पनी की दुकान में मौजूद पाई गई । चीनी बिना लाईसेन्स निर्धारित सीमा 10 क्विंटल से कम होने से छोडी गई किन्तु सल्फर चीनी/खांडसारी एवं गुड की बिना लाइसेन्स के कारोबार करने की निर्धारित सीमा 50 क्विंटल है । रघुवीर प्रसाद राठौड जो राठौड ट्रेडिंग के नाम से उक्त खांडसारी एवं चीनी का व्यापार करते है के कब्जे में 153 क्विंटल सल्फर चीनी (खांडसारी) तथा 2 क्विंटल 80 किलो गुड मौजूद मिला जो बिना लाईसेन्स के निर्धारित स्टॉक सीमा से अधिक है । रघुवीर प्रसाद व उसकी फर्मो द्वारा बिना आर0टी0ए0एल0 लाईसेन्स के कारोबार किया जाने से 153 क्विंटल सल्फर मय बारदाना तथा 28 भेली गुड वजनी 2 क्विंटल 80 किलो जब्त किया गया । अतः सीज्ड माल को राजसात किया जावें । इस पर इस

जिला कलेक्टर
कोटा

न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 31.7.2001 को निर्णय पारित करते हुए जब्त 153 क्विंटल सल्फर (खांडसारी) तथा 28 भेली गुड वजनी 2 क्विंटल 80 किलो मय बारदाना राजसात किया गया इस आदेश की अप्रसन्नता में अप्रार्थी द्वारा माननीय अपर जिला न्यायाधीश कम--3 कोटा में पृथक पृथक अपील पेश की गई जिसका एक ही निर्णय दिनांक 22.4.2002 को पारित किया जाकर इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 31.7.2001 को निरस्त करते हुए प्रकरण इस आशय के साथ इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है कि दौनों फर्मो इन्दौरा ट्रेडिंग कम्पनी एवं मैसर्स युनूस एण्ड संस को धारा 6 बी के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया जावें । तथा प्रवर्तन निरीक्षक आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अनुसार सक्षम अधिकारी है या नहीं और उनके द्वारा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति प्राप्त की हुई है या नहीं इन बिन्दुओं पर जांच करते हुए अपना आदेश पारित किया जावें ।

2 प्रकरण पुनः रिमाण्ड से प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थी रघुवीर प्रसाद की ओर से श्री हरिसिंह शक्तावत एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश करते हुए उपस्थिति दी गई । शेष अप्रार्थी नं0 2 व 3 कमशः इन्दौरा ट्रेडंग कम्पनी जर्ये वैणुलता राठौड एवं मो0 युनूस एण्ड संस कैथून जर्ये मोहम्मद युनूस आत्मज कमाल अहमद को माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार धारा 6 बी के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी कम 2 व 3 की ओर स भी एडवोकेट श्री हरिसिंह शक्तावत एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया ।

3 अप्रार्थी नं0 1 द्वारा कारण बताओ नोटिस का जवाब पेश किया है कि राठोड ट्रेडिंग कम्पनी कैथून मे रिटेल किराना व्यापार है जिसमें गुड शक्कर खांडसारी का रिटेल व्यापार ही करती है और इसी फर्म का इन्दौरा सदन में कोटा सांगोद रोड पर नजर के पास एक गोदाम है । इन्दौरा सदन उसके परिवार का निजी भवन है । शक्कर खाडसारी गुड फर्म द्वारा आवश्यकतानुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम की पालना करते हुऐ खरीदी एवं बेची जाती है । मार्च में शादी ब्याह होने के कारण शक्कर खाडसारी एवं गुड की बिकी बढ जाती है । अधिक मात्रा की आशाको देखते हुए कपिल ट्रेडर्स कोटा से 49 बोरी सल्फर शक्कर का 15 दिन की उधार पर कैथून डिलेवरी का सौदा किया गया था । इसी सौदे के अन्तर्गत दिनांक 20.4.2000 को ट्रक नम्बर आर जे. 20 जी 3589 एम0बी0 राजस्थान रोड लाईन्स ट्रांसपोर्ट कम्पनी के बिल नम्बर 926 से कैथून भेजा गया था इस ट्रक में 49 बोरी शक्कर इन्दौरा ट्रेडिंग कम्पनी कैथून के बिल नम्बर 928 से व 27 बोरी सल्फर शक्कर बिल नम्बर 927 कपिल ट्रेडर्स कोटा द्वारा मोहम्मद युनूस एण्ड सन्स को कैथून भेजी थी क्योकि तीनों का माल इकट्ठा एक ही ट्रक से भेजने से ट्रांसपोर्ट खर्चे की भारी बचत होती है । दिनांक 20.4.2000 को ट्रक दुकान पर आया तो फर्म के एक कर्मचारी के साथ गोदाम की चाबी देकर ट्रक के साथ फर्म गोदाम इन्दौरा सदन भेज दिया गया । इन्दौरा ट्रेडिंग कम्पनी का गोदाम व व्यवसाय स्थल भी उसी भवन मे था इसलिए प्रथम इन्दौरा ट्रेडिंग कम्पनी का माल खाली होना शुरु हुआ । इन्दौरा ट्रेडिंग कम्पनी की 49 बोरी, राठौड ट्रेडिंग की 37 बोरी सल्फर शक्कर खाली हो चुकी थी उसी समय विभागीय जांच दल निरीक्षण करने पहुंच गया । जांच दल द्वारा माल खाली करने से रोक दिया गया और मालिकों को बुलाने का आदेश दिया गया । जल्दबाजी में कर्मचारी घबरा कर गोदाम के ताला लगाकर फर्म मालिक को बुलाने चला गया व ट्रक वहीं पर खडा रहा ।

A-29

जांच अधिकारी को बताया गया कि इस ट्रक में जो माल आया है उसमें उसकी फर्म की केवल 49 बोरी शक्कर ही है शेष अन्य फर्मो की है । ट्रक में 12 बोरी सल्फर फर्म की व 27 बोरी सल्फर शक्कर मोहम्मद युनूस एण्ड संस की ट्रक में रह गई थी । उसकी फर्म की गोदाम में ट्रक में से 37 बोरी ही उतरी थी एवं 5 बोरी शक्कर पूर्व की गोदाम में ही पड़ी हुई थी जिसका बेचान 1.4.2000 को किया जा चुका था लेकिन ग्राहकों के पास साधन की व्यवस्था नहीं बैठने के कारण गोदाम पर ही छोड गये थे । इस प्रकार राठौड़ ट्रेडिंग कम्पनी के गोदाम में 81 बोरी शक्कर व सल्फर होना बताया है जबकि गोदाम में विक्रयशुदा 5 बोरी को भी शामिल कर लिया है । जांच अधिकारी महोदय तीनों फर्मो का माल उसका बताकर जो कार्यवाही की है वह मिथ्या बनावटी व विधि विरूद्व है । जांच अधिकारी के सामने प्रार्थी फर्म एवं अन्य फर्मो के बिल मौके पर ही प्रस्तुत करवा दिये गये थे । जांच दल ने सम्पूर्ण कागज बिल कय व विकय की जांच करके जांच के लिए अपने पास रख लिए एवं माल की सील खोलकर सम्पूर्ण माल 153 बोरी रमेशचन्द गुरवाणी प्रो0 मैसर्स कपिल ट्रेडर्स पुरानी धानमंडी कोटा को सुपुर्द कर दिया । अन्य फर्मो का माल भी उसकी फर्म के साथ सील कर दिया और अन्य फर्मो का दायित्व उसके उपर रखा है । ट्रांसपोर्टेशल का खर्चा बचाने के कारण इस ट्रक में माल मंगवाया गया था उसके विरूद्व कार्यवाही का समाप्त कर जब्त माल रिलीज किया जावें ।

4. अप्रार्थी संख्या 2 मोहम्मद युनूस एण्ड सन्स कैथून द्वारा जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 20.4.2000 को कपिल ट्रेडर्स कोटा से 27 बोरी शक्कर सल्फर खरीद की थी, जिसका बिल नं0 927 दिनांक 20.4.2000 का मैसर्स कपिल ट्रेडर्स द्वारा जारी कर कैथून के अन्य फर्म राठौर ट्रेडिंग कम्पनी एवं इन्दौरा ट्रेडिंग कम्पनी के माल के साथ ट्रक नं0 आर जे 20 की 3589 से डिलेवरी हेतु कैथून भिजवायी थी, जिसमें इन्दौरा ट्रेडिंग कम्पनी की 40 बोरी खांडसारी शक्कर एवं 49 बोरी शक्कर राठौर ट्रेडिंग कम्पनी केथून को कुल 125 बोरी शक्कर कपिल ट्रेडर्स कोटा द्वारा भिजवायी गयी थी एवं तीनों फर्मो के शक्कर खरीदने के बिल कमशः 926 राठौड़ ट्रेडिंग कम्पनी, बिल नं0 927 मोहम्मद युनूस एण्ड संस बिल नं0 928 इन्दौरा ट्रेडिंग कम्पनी के दिनांक 20.4.2000 से जारी कर बिल अनुसार शक्कर ट्रक में भरकर प्रथम राठौर ट्रेडिंग कम्पनी, एवं द्वितीय इन्दौरा ट्रेडिंग कम्पनी तथा बाद में प्रार्थी के गोदाम पर उतारने बाबत हिदायत हम्मालों को दी गई थी । प्रार्थी व अन्य फर्मो के मालिक कैथून में ही व्यापार एवं कारोबार करते है तथा एक वाहन से माल की डिलेवरी लेने में किराये भाडे में अधिक लाभ होता है जिसके चलते ही तीनों फर्मो के द्वारा सम्पूर्ण माल एक ही ट्रक से डिलेवरी हेतु कपिल ट्रेडर्स को निवेदन किया था । जिसकी पालना करते हुये ही इन्दौरा सदन कैथून सांगोद रोड में स्थित इन्दौरा ट्रेडिंग कम्पनी के गोदाम एवं राठौड ट्रेडिंग कम्पनी के गोदाम पर शक्कर की बोरिया उतारी जा रही थी, जिसमें 49 बोरी इन्दौरा ट्रेडिंग कम्पनी की उसके गोदाम में रखवायी जा चुकी थी, शेष 49 बोरी राठौड ट्रेडिंग कम्पनी एवं प्रार्थी की 27 बोरी में से 37 बोरी राठौर ट्रेडिंग कम्पनी के गोदाम में रखवाने के समय ही प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद विभाग कोटा द्वारा जांच करने बाबत निर्देश देकर माल को उतारने से रोक दिया तथा गोदामों को ताले लगा दिये । मौके पर मैने व अन्य फर्मो के मालिकों द्वारा खरीद के बिल पेश करते हुए शक्कर की बोरिया एवं गोदाम में रखी शक्कर की बोरिया अलग

जिला कलेक्टर
कोटा

A-30

अलग फर्मो की होने बाबत निवेदन कर दिया था, लेकिन प्रवर्तन अधिकारी द्वारा अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग कर सम्पूर्ण शक्कर को एक गोदाम में रखवा दिया । प्रार्थी की जब्तसुदा 27 बोरी शक्कर की राशि को दौबारा प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद विभाग से दिलाया जाना आवश्यक है । उपरोक्त शीर्षक के प्रकरण में जब्तसुदा कुल 153 बोरी शक्कर जिसमें से प्रार्थी की 27 बोरी शक्कर भी है जिसे राठौर ट्रेडिंग कम्पनी की बताते हुये गलती एवं असत्य आधारों पर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है जो निरस्तनीय है । अतः जवाब प्रार्थना पत्र / नोटिस 6 बी आवश्यक वस्तु अधिनियम प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी की उपरोक्त शीर्षक के प्रकरण में जब्त 27 बोरी शक्कर जो बिल नं0 927 मैसर्स कपिल ट्रेडर्स कोटा से दिनांक 20.4.2000 को कय की थी, सुपुर्दगी में दी जावें । मानसिक क्षति, आर्थिक क्षति, व्यापारिक क्षति का भी हर्जाना जिला रसद अधिकारी कोटा से दिलवाया जावें ।

5. अप्रार्थी संख्या 03 वेणुलता राठौर प्रो0 इन्दौरा ट्रेडिंग कंपनी बस कैथून कोटा ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया की एक फर्म इन्दौरा ट्रेडिंग कंपनी, इन्दौरा सदन सांगोद रोड कैथून में स्थित है । प्रार्थीया हमेशा ही आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं व्यावसायिक नियमों की पालना करते हुए कारोबार करती है वर्ष के मार्च माह में शादी विवाह आदि कार्यो की गतिविधियां बढ जाने से किराना व्यापारियों एवं कारोबारियों को अपने ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने हेतु आवश्यक वस्तुओं की मांग अनुसार स्टॉक रखना पड़ता है जिसके चलते प्रार्थी द्वारा कपिल ट्रेडर्स कोटा से दिनांक 20.4.2000 को ट्रक नंबर आर जे 20 वी 3589 एम पी राजस्थान रोड लाईन्स ट्रान्सपोर्ट कम्पनी द्वारा बिल नम्बर 929 से 49 बोरी सल्फर शक्कर 15 दिन की उधार पर कय कर डिलीवरी प्राप्त की । प्रार्थीया को कपिल ट्रेडर्स कोटा द्वारा डिलेवरी सल्फर शक्कर 49 बोरी के साथ ही अन्य फर्म राठौर ट्रेडिंग कंपनी कैथून की सल्फर शक्कर बिल नं0 926 से एवं बिल नंबर 927 से 27 बोरी सल्फर शक्कर मोहम्मद युनूस एण्ड सन्स कैथून की कुल 125 बोरी सल्फर शक्कर तीनों कैथून की फर्मो का उक्त ट्रक नम्बर आर.जे. 20 वी 3589 से डिलीवरी हेतु कैथून भिजवा दिया गया जहां पर प्रथम प्रार्थी के गोदाम व इन्दौरा ट्रेडिंग कंपनी इन्दौरा सदन में 49 बोरी बिल अनुसार 928 से खाली की गयी शेष फर्मो का माल जिनमें 49 बोरी राठौर ट्रेडिंग कम्पनी का था जिसका गोदाम भी इन्दौरा सदन में होने के कारण उक्त ट्रक के हम्मालों द्वारा गोदाम राठौर ट्रेडिंग कम्पनी पर बिल नं0 926 में वर्णित 49 बोरी सल्फर शक्कर उतारी जा रही थी जिसमें से 37 बोरी शक्कर राठौर ट्रेडिंग कम्पनी के गोदाम में खाली की जा चुकी थी शेष शक्कर ट्रक में कुल 39 बोरी शक्कर शेष रही थी तब रसद विभाग के कर्मचारियों द्वारा ट्रक के माल को खाली करने से मना कर दिया एवं गोदाम को ताला लगाकर फर्म के मालिकों को बुलवाने हेतु भिजवा दिया । प्रार्थीया द्वारा मौके पर आकर इन्दौरा ट्रेडिंग के गौदाम में रखे 49 बोरी शक्कर एवं बिल बताकर कर्मचारियों को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया गया किन्तु प्रवर्तन अधिकारी ने जबरदस्ती करते हुए सम्पूर्ण माल को एक ही गोदाम में इकठ्ठा करवा दिया । प्रवर्तन अधिकारी द्वारा जानबूझकर दुर्भावना पूर्वक फर्मो के माल को एवं बिके हुए माल को जबरदस्ती एकत्र कर केवल राठौर ट्रेडिंग कंपनी का बताकर कुल 153 बोरी शक्कर का झूठा प्रकरण बनाकर माननीय न्यायालय में पेश किया है । प्रार्थीया द्वारा व्यवसाय करने बाबत सेल टेक्स विभाग कोटा से

जिला कलेक्टर
कोटा

A-31

रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया हुआ है एवं आर.टी.एस. रजिस्ट्रेशन भी प्राप्त किया हुआ है । प्रार्थीया विधिवत आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपनी व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करती है प्रार्थीया का जब्तसुदा माल प्रार्थीया को लौटाया जाना आवश्यक है ।

6. हमने राजकीय अभिभाषक एवं वकील अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई । राजकीय अभिभाषक द्वारा माननीय सिविल न्यायालय के रिमाण्ड के बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट कराते हुए स्पष्ट कराया कि RAJASTHAN TRADE ARTICLES (LICESING & CONTROL) ORDER 1980 के पैरा संख्या 30 के तहत SERCH AND SEIZURE के अधिकार रसद विभाग के अधिकारी प्रवर्तन निरीक्षक की रेंक तक को दिया हुआ है । रसद विभाग द्वारा की गई कार्यवाही नियमों के तहत की गई है ।

7. अप्रार्थी फर्मो राठौड़ ट्रेडिंग कम्पनी, मोहम्मद युनूस एण्ड सन्स कैथून, वेणुलता राठौर प्रो0 इन्दौरा ट्रेडिंग कंपनी बस स्टेण्ड कैथून कोटा द्वारा मुख्यरूप से अपने जवाब एवं बहस में कथन किया है कि उपरोक्त तीनों फर्म अलग अलग है एवं अलग अलग ही व्यापार करती है, तीनों फर्मो का माल भाड़े को बचाने के कारण एक ही ट्रक में लाने से तीनों फर्मो का माल को राठौड ट्रेडिंग कम्पनी का मानकर कुल 153 क्विंटल सल्फर तथा 28 भेली गुड वजनी 2 क्विंटल 80 किलो मय बारदाना जब्त किया गया है । साथ ही शेष अन्य दौ फर्मो को भी 6 बी के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किये गये, जिस पर सम्बन्धित फर्म द्वारा दिनांक 23.7.2012 को अपना अपना जवाब प्रस्तुत किया जिसमें अप्रार्थी नं0 2 वेणुलता राठौर प्रोपराइटर इन्दौरा ट्रेडिंग कंपनी कैथून एवं अप्रार्थी नं0 3 मोहम्मद यूनूस आत्मज कमाल अहमद मुसलमान निवासी अहीरपाडा कैथून प्रो0 मो0 यूनुस एण्ड संस द्वारा एकसा जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि उनके द्वारा राठौर ट्रेडिंग कम्पनी के माल 49 क्विं. शक्कर के साथ उनके द्वारा अप्रार्थी क्रम 2 इन्दौरा ट्रेडिंग कम्पनी की शक्कर 49 क्विं. व अप्रार्थी क्रम 3 मो0 यूनुस एण्ड संस की 27 क्विं. शक्कर मालभाड़े की बचत के कारण कपिल ट्रेडर्स कोटा से खरीदसुदा एक ही ट्रक में भरकर मंगवाई जाना बताया है, तथा मौके पर जब्त कुल 153 क्विं. रघुवीर प्रसाद राठौर के गोदाम से ही जब्त की गई थी, तथा श्री रघुवीर प्रसाद द्वारा दिनांक 4.7.2000 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निर्णित होकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है के पैरा नं0 7 में अंकित किया है कि "यह कि उक्त शक्कर के नीलाम होने से प्रार्थी को अत्यधिक हानि होगी प्रार्थी उक्त 153 क्विंटल चीनी की अनुमानित राशि रूपये 2,40,000/- की बैंक गारन्टी देकर उक्त माल नीलामी से बचाना चाहता है । उक्त प्रार्थना स्वीकार किया जाकर सम्पूर्ण 153 क्विं. शक्कर की बैंक गारंटी के आदेश हुए । इससे जाहिर होता है कि सम्पूर्ण 153 क्विं. शक्कर अप्रार्थी नं0 1 रघुवीर प्रसाद की फर्म राठौर ट्रेडिंग कम्पनी की ही होना साबित होता है शेष अन्य दौ फर्मो को भी 6 बी के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किये गये है उनके द्वारा अपने जवाब में अपनी फर्मो का रजिस्ट्रेशन / लाईसेंस आदि दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है जिससे यह साबित हो सकें की यह तीनों फर्म अलग अलग नहीं होकर एक ही फर्म राठौड़ ट्रेडिंग कम्पनी का माल है है । तथा एक फर्म को एकसाथ 50 क्विं. से अधिक का स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होने एवं कोई लाईसेन्स नहीं होने के कारण उक्त माल जब्त किया गया है ।

जिला कलेक्टर
कोटा

A-32

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि अप्रार्थी ने अपने जवाब में बाद में सोच विचार कर तथ्य अंकित किए है जो प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रस्तुत फर्द मौका व अन्य दस्तावेजात की तुलना में अधिक विश्वसनीय है । जबकि वास्तविकता यह है कि अप्रार्थी द्वारा बिना वैद्य लाईसेन्स प्राप्त किए खाण्डसारी का व्यापार किया है । Rajasthan Trade Articles (Licencing & Control) Order, 1980 के प्रावधानों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है । ऐसी स्थिति में सीज्ड माल राजसात किए जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः जब्त माल 153 क्विंटल सल्फर (खांडवसारी) तथा 28 भेली गुड वजनी 2 क्विंटल 80 किलो मय बारदाना राजसात (Confiscation) किया जाने का आदेश दिया जाता है ।

10. निर्णय आज दिनांक 22.9.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलेक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा